

**बिहार सरकार**  
**पंचायती राज विभाग**

पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग हेतु सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु विज्ञापनः

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान के तहत सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश विभाग के वेबसाइट— <https://state.bihar.gov.in/biharprd> पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 21.01.2024 अपराह्न 23:59 बजे तक है।

2. संविदा आधारित उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक हेतु आरक्षण कोटिवार पदों की विवरणी निम्नवत् हैः—

(क) उच्च वर्गीय लिपिक

क्र0	पदनाम	पद संवर्ग	पदों की संख्या	वेतन स्तर	आरक्षण कोटि			अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6			7
1	उच्च वर्गीय लिपिक	पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग	87	04	कोटि	पुरुष	महिला	
					अनारक्षित	12	07	
					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06	03	
					अनुसूचित जाति	11	06	
					अनुसूचित जन जाति	02	00	
					अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	16 (बैकलॉग-01)	08	
					पिछड़ा वर्ग	10	06	
					कुल	57	30	

(ख) प्रधान लिपिक

क्र०	पदनाम	पद संवर्ग	पदो की संख्या	वेतन स्तर	आरक्षण कोटि			अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6			7
1	प्रधान लिपिक	पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग	47	06	कोटि	पुरुष	महिला	
					अनारक्षित	08	04	
					आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	03	02	
					अनुसूचित जाति	06	03	
					अनुसूचित जन जाति	01	00	
					अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग	07	04	
					पिछङ्गा वर्ग	06	03	
					कुल	31	16	

(ग) कार्यालय अधीक्षक

क्र०	पदनाम	पद संवर्ग	पदो की संख्या	वेतन स्तर	आरक्षण कोटि			अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6			7
1	कार्यालय अधीक्षक	पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग	04	07	कोटि	पुरुष	महिला	
					अनारक्षित	00	00	
					आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	00	00	
					अनुसूचित जाति	02 (बैकलॉग-01)	00	
					अनुसूचित जन जाति	00	00	
					अत्यन्त पिछङ्गा वर्ग	02 (बैकलॉग-02)	00	
					पिछङ्गा वर्ग	00	00	
					कुल	04	00	

3. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता:-

- (i) आवेदक बिहार सरकार अंतर्गत उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक के पद से सेवानिवृत हुआ हो।

- (ii) सेवानिवृत उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक का संविदा आधारित नियोजन के लिए उम्र सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के उपबंधों से आच्छादित होगी।
- (iii) चयन मात्र एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। अर्थात् दिनांक 30.11.2023 को आवेदक का उम्र 64 वर्ष से अधिक नहीं हो।

#### 4. संविदा नियोजन की शर्तें:-

- (i) किसी पद विशेष से सेवानिवृत सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।
- (ii) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।
- (iii) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवानिवृति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

- (iv) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

#### 5. आवेदन की प्रक्रिया:-

- (i) संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।
- 6. आवेदन समर्पित करने उपरान्त इसमें ब्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्यवाई की जायेगी।

7. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।
8. चयनित उमीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।
9. आवेदक अपने सेवानिवृति पूर्व के कार्यालय प्रधान द्वारा प्रदत्त निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध (i) कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है। (ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है। (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है एवं (iv) सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन से कटौती का कोई दण्ड अधिरोपित न हो।
10. आवेदक ऑनलाईन आवेदन की (आवेदन समर्पित करने के पश्चात) मुद्रित प्रति, सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति, सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कॉउंसेलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O) समर्पित करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदक संलग्न अनुसूची-2 में वांछित सूचना भरकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. कॉउन्सलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. विभाग कुल रिक्ति से कम पद पर भी संविदा नियोजन कर सकती है।

⊕ २११२३  
 (किशोर कुमार)  
 उप सचिव

## अनुसूची – 2

पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु  
चयन का प्रस्ताव चयन समितियों को भेजे जाने हेतु

### जाँच—पत्र

1.	विभाग / कार्यालय का नाम।	
2.	पद का नाम जिसपर संविदा नियोजन प्रस्तावित है।	
3.	प्रस्तावित पद पर संविदा नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या एवं दिनांक।	
4.	प्रस्तावित पद संकल्प सं० 10000 दिनाक 10.07.2015 की अनुसूची के किस क्रमांक पर शामिल है।	
5.	(i) अभ्यर्थी (जिसका संविदा नियोजन प्रस्तावित है) का नाम एवं पद नाम, (जिस पद से सेवा निवृत्त हुआ है)। (ii) उक्त पद पर कार्यानुभव की अवधि।	
6.	(i) विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुआ है। (ii) विभाग / कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि।	
7.	विभाग में उसी पद पर पूर्व में सविदा के आधार पर कार्यानुभव की अवधि।	
8.	(i) अभ्यर्थी की जन्म तिथि (ii) सेवा निवृत्ति की तिथि।	
9.	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	